

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम देवरोडा की जमाबन्दी सम्वत् २०७३ से २०७६ के खाता संख्या ८६ में वरदा दज पिम वरदु कशाना खाता

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-

(२०७३/१६)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम देवरोडा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् २०७३ से २०७६ के खाता संख्या ८६ में प्रार्थी का नाम वरदा पिम वरदु कशाना दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न राजस्व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम वरदु पिम वरदु कशाना है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू०अ०नि०

पटवारी

हरदेव लाल बरवा
पटवारी वरदा कशाना
शाहपुरा मोलवाड़ा (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा

प्रार्थी द्वारा रा०भू०राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी शाहपुरा एवं भू०अ०नि० शाहपुरा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम देवरोडा की जमाबन्दी सम्वत् २०७३ से २०७६ की खाता संख्या ८६ में प्रार्थी का नाम वरदा के बजाय वरदु कशाना किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार
शाहपुरा (मोलवाड़ा) राज.

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम देवरोडा जमाबन्दी सम्वत्

२०७३-२०७६ खाता संख्या ८६ में दर्ज प्रार्थी का नाम वरदा के स्थान पर वरदु

संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

प्रमारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (मोलवाड़ा) राज.

2007/22
2016/22